35

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–327 / 2019

राम कृष्ण पुत्र स्व0 श्री विजय शंकर जाति ब्राह्मण निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

——वादी

बनाम

1. प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री विजय शंकर जाति ब्राह्मण निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. सीमा पुत्री स्व0 श्री विजय शंकर पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी मकड़ाना तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी
3. महेश चन्द्र पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

——प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा, आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुन्दनलाल, प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि स्व0 विजयशंकर के नाम संयुक्त खाता चक 6 ए.जी. के खाता संख्या– 51/74 खाता झमनलाल वगैरा में स्व0 विजय शंकर के नाम संयुक्त खाता संख्या– 51 में अंकित कुल भूमि 8.956 है0 में 1/6 हिस्सा भूमि तथा चक 11 ए.जी. के खाता संख्या–85 के संयुक्त खाता में अंकित कुल भूमि 13.905 है0 में 1/12 हिस्सा में तथा चक 10 ए.जी. के खाता संख्या–117 में अंकित कुल भूमि 0.0120 है0 में स्व0 विजयशंकर के नाम 1/12 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार है तथा चक 6 ए.जी. के खाता संख्या–51 में अंकित कुल भूमि 8.956 है0 में प्रतिवादी संख्या–3 महेशचन्द्र के नाम 1/6 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या–3 का नाम खाता संख्या–51 से कलमजन कर वादी को प्रतिवादी संख्या–3 के नाम अंकित 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निज.......निल...........मुब्लिक.....निल.............बाबत.......निल..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से दिनांक 19/12/19 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी ★ टिब्बी